UPAD010057922021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), इलाहाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3054/2021
C.N.R. No.-UPAD01005792-2021

सबीउद्दीन उर्फ शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–91/2021
धारा–392, 411 व 120बी भा0दं0सं0
थाना–मऊआइमा, प्रयागराज।

09.08.2021:–

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सबीउद्दीन उर्फ शौकीन पुत्र सगीर उर्फ समीरउद्दीन, निवासी–शकूहाबाद, थाना–लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ की ओर से धारा–439 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–91, धारा–392, 411 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना–मऊआइमा, प्रयागराज में प्रस्तुत किया गया है, जो अभियुक्त के पैरोकार/पिता सगीर के शपथपत्र से समर्थित है और कथन किया गया है कि अभियुक्त का **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है।** उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

तथ्य:–

2. संक्षेप में अभियोजन तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है कि वादी मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक सहज जनसेवा केन्द्र चलाता है। दिनांक 04.03.2021 को भारतीय स्टेट बैंक इस्माइलपुर से 1,50,000/–रुपा निकालकर अपने सार्थी अशर्फी लाल यादव के साथ अपने दो पहिया वान से वापस आ रहे थे और हरखपुर पेट्रोल पम्प से 500 मीटर पहले स्टोर के सामने पहुंचे थे, तभी पीछे से दो पहिया अपाची सफेद रंग की जिस पर दो नवयुवक सवार थे, वादी की गाड़ी रोककर उसके ऊपर तमंचा लगाकर उसके पास से 1,50,000/–रुपया और अशर्फी यादव के पास से 7,500/–रुपया लेकर भाग निकले और दोनों लोगों का मोबाइल भी लेकर भाग निकले। वादी मुकदमा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की ओर से जमानत का आधार:–

3. अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है जो पूर्णतया निर्दोष है। उक्त मुकदमा अभियोजन पक्ष द्वारा अज्ञात में लिखाया गया है। प्रार्थी ने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। प्रार्थी के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है और न ही प्रार्थी के

विरुद्ध किसी अपराध में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज है। प्रार्थी को सहअभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उक्त अपराध में जनता का कोई गवाह नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी विश्वसनीय विधिक साक्ष्य नहीं है और न ही किसी न्यायालय से सजायाफ्ता है और न ही विश्वसनीय आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी दिनांक 23.03.2021 से जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियुक्त की ओर से बहसः–

4. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों को दोहराते हुए पुनः बहस किया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखाया गया है। प्रार्थी के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है और न ही प्रार्थी के विरुद्ध किसी अपराध में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज है। प्रार्थी को सहअभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उक्त अपराध में जनता का कोई गवाह नहीं है। प्रार्थी दिनांक 23.03.2021 से जेल में है। जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन की ओर से बहसः–

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा का 1,50,000/–रुपया व उसके साथी का 7,500/–रुपया व दोनों लोगों का मोबाइल छीनकर भाग गया जो उसके पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

6. मैंने अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त के दो आपराधिक इतिहास है, जिसके सम्बन्ध में उसके पैरोकार द्वारा शपथपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उक्त दोनों मुकदमों में अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 23.03.2021 से जेल में निरुद्ध है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थिस्थितियों में गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार का आधार पर्याप्त पाता हूँ। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **सबीउद्दीन उर्फ शौकीन** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को निम्न शर्तो पर किः–

1. वह वादी मुकदमा/गवाहों को नहीं डराये धमकायेगा।
2. वह नियत तिथियों पर उपस्थित होगा और अनावश्यक रूप से मामले को स्थगित नहीं करेगा।
3. वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/–रुपये के दो जमानत बन्धपत्र तथा इसी राशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

(राम केश)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
इलाहाबाद।
JO Code-UP5902